पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी, DOPPW ने जारी किया आदेश, सभी पेंशनभोगी जान ले

दिनांक 13 जनवरी, 2025 को केंद्र सरकार के अंतर्गत पेंशन व पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने पेंशनभोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) जमा करने से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश को जारी किया है। इस आदेश में सभी पेंशन भुगतान करनेवाली (PDA) बैंकों को सख्त निर्देश दिया गया है कि इस आदेश का पालन करना अनिवार्य है। तो चलिये इस आदेश में क्या निर्देश दिए गए है पूरी खबर को जान लेते है।

क्या है पूरा मामला

सरकार को कई पेंशनभोगियों से शिकायतें मिलीं कि DLC जमा करने के बाद भी पेंशन रुक जाती है, क्योंकि PDAs उनके रिकॉर्ड को समय पर अपडेट नहीं करते हैं और SMS संदेश नहीं भेजते। जिससे पेंशनभोगियों को पता नही चलता है कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट स्वीकृत किया गया है या अस्वीकृत। इस संदर्भ में सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि PDAs की यह लापरवाही अस्वीकार्य है। सभी PDAs को 20 फरवरी, 2024 को जारी आदेशों का सख्ती से पालन करना होगा।

क्या कहता है 20 फरवरी 2024 के आदेश

इस आदेश में कहा गया था कि पेंशनभोगी द्वारा गलत PDA, खाता संख्या या PPO नंबर दर्ज करने के कारण उनका DLC संबंधित बैंक के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हो पाता। इसके परिणामस्वरूप, पेंशन रुक जाती है और पेंशनभोगी को यह त्रुटि समय पर नहीं पता चल पाती। इसलिये सरकार ने कहा था कि

DLC के स्वीकृत/अस्वीकृत होने की सूचना उसी दिन SMS के माध्यम से पेंशनभोगी को दें। अस्वीकृति के मामले में, अस्वीकृति का स्पष्ट कारण SMS में उल्लेखित करें। यदि पेंशनभोगी ने गलत PDA दर्ज किया है, तो PDA पेंशनभोगी को SMS के माध्यम से सूचित करेगा कि "गलत PDA के कारण DLC अस्वीकृत है।" यदि PDA सही है लेकिन खाता संख्या या PPO नंबर गलत है, तो PDA को अस्वीकृति का विशिष्ट कारण SMS में बताना होगा।

बैंक/ PDA कर रहे है मनमानी

स्पस्ट आदेश होने के बावजूद पेंशनभोगियों को SMS नही भेजा जाता है और पेंशन रोक दी जाती है इसलिए फिर से कड़क आदेश DOPPW की तरफ से जारी किया गया है। सभी बैंकों/ PDA को स्पस्ट आदेश दिया गया है। अगर आदेश का पालन नही होता है तो कड़क कार्यवाई की जाएगी।

क्या है 13.01.2025 के आदेश में

इस आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों को हर वर्ष नवंबर माह में वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Annual Life Certificate) जमा करना अनिवार्य होता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि पेंशनभोगी अभी जीवित हैं और उन्हें पेंशन मिल रही है।
पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) की शुरुआत की है। DLC जमा करने के लिए बायोमेट्रिक उपकरणों और फेस ऑथेंटिकेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।

DLC जमा करने के बाद SMS अनिवार्य

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा होने के बाद, इसे संबंधित पेंशन वितरण प्राधिकरण (PDA) के रिकॉर्ड में अपडेट करना आवश्यक है। सरकार ने यह निर्देश दिया है कि सभी PDA पेंशनभोगी को SMS के माध्यम से जानकारी दे कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट स्वीकार किया गया है या अस्वीकार किया गया है।

सभी PDA, SMS के माध्यम से जानकारी दें

PDAs को पेंशनभोगियों को DLC स्वीकृति या अस्वीकृति की जानकारी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के अगले दिन में SMS के जरिए देना अनिवार्य है। यदि DLC अस्वीकृत हो, तो पेंशनभोगी को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इस बीच पेंशन को रोकना नही है।

सरकार की गाइडलाइंस

PDAs को समय पर DLC रिकॉर्ड अपडेट करना होगा।
DLC की स्थिति (स्वीकृत/अस्वीकृत) SMS के माध्यम से पेंशनभोगियों को अनिवार्य रूप से बतानी होगी।
किसी भी अस्वीकृत DLC का समाधान तत्काल करना होगा।
DLC अस्वीकृत हो जाने पर फिर से भरने का मौका दिया जाय। पेंशन को रोकना नही है।

पेंशनभोगियों के लिए राहत

सरकार का यह आदेश पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब पेंशनभोगियों को यह चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि उनका DLC, रिकॉर्ड में अपडेट हुआ या नहीं। SMS संदेशों से उन्हें समय पर जानकारी मिलेगी, जिससे उनकी पेंशन निर्बाध रूप से जारी रहेगी।

निष्कर्ष

यह आदेश सरकार की पारदर्शी और डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशनभोगियों को उनके अधिकार समय पर मिलें और वे अनावश्यक समस्याओं से बच सकें। सभी पेंशन वितरण प्राधिकरणों को इसे सख्ती से लागू करने की हिदायत दी गई है।